



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262163  
CG-DL-E-30032025-262163

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]  
No. 260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

तेलंगाना ग्रामीण बैंक

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 मार्च, 2025

सं. टी.जी.बी. सेवा विनियम संशोधन 2025.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल, प्रायोजक बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, तेलंगाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. डेक्कन (अब तेलंगाना) ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में उप-विनियम (1) में खंड (जी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(जी) "सद्गम प्राधिकारी" का अर्थ है,-

"(i) अधिकारी स्केल-III, IV और V के संबंध में अध्यक्ष;

"(ii) अधिकारी स्केल-I, II और समूह 'बी' कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय), समूह 'सी' कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय) के संबंध में महाप्रबंधक।

2. उक्त विनियमों के विनियम 50 में खंड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) बोर्ड, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है।

श्रीमती वाई. सोभा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./1117/2024-25]

**नोट:** तेलंगाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 16/10/2010 में अधिसूचना संख्या 261 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या 510, दिनांक 18/12/2018 और अधिसूचना संख्या 849, दिनांक 09/09/2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

### TELANGANA GRAMEENA BANK

#### NOTIFICATION

Hyderabad,, the 13th March, 2025

**No. TGB Service Regulations Amendment 2025.**— In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (1) of section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Telangana Grameena Bank after consultation with State Bank of India, being the Sponsor Bank and the National Bank for agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Telangana Grameena Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010, namely: -

1. In Regulation 2 of the Deccan (now Telangana) Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

(g) "Competent Authority" means,-

"(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;

(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I, II and employees Group 'B' Office Assistant (Multipurpose), Group 'C' Office Attendant (Multipurpose).

2. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority.

SMT. Y.SOBU, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./1117/2024-25]

**Note:** The Telangana Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 were published in the Gazette of India, Part III, section 4, dated the 16/10/2010, vide notification number 261 dated the 16/10/2010 and subsequently amended vide notification number 510, dated the 18/12/2018 & notification number 849, dated the 09/09/2024.